प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 फरवरी, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-10/एफ एम/एफ-।/ट्रांस्को/बजट/399/2021/23-24, दिनांक 15 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु ऊर्जा विभाग के लिए अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 4801-05-789-03-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 131,32,00,000/- (रूपये एक सौ इकत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 31,32,00,000/- (रूपये इकत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता होने पर उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उपयोग की गयी धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शतों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी/टी0एस0पी0 के मानक व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रयास यह करें कि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति को भी लाभ इस योजना से मिले।

(7) अगली किश्त का प्रस्ताव करते समय पूर्व में आहरित की गई धनराशि एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,32,00,000 (रुपये इकतीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4801057890300 उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को पारेषण कार्यो हेतु अंशपूंजी **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-149-X-2023-24-दिनांक:31-1-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 08 /2024/001-81(1)-24-1-2024-2709 BUDGET-2012, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।